मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/For/2/0003/2023-sec-2-10, भोपाल,दिनांक 11/01/2023

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. अपर मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. अपर मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. अपर मुख्य सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
5. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
7. प्रमुख सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग
   मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
   मध्यप्रदेश, भोपाल
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)
   मध्यप्रदेश, भोपाल

विषयः मानव-हाथी द्वंद के प्रबंधन के दिशा-निर्देश।

विषयांतर्गत मानव-हाथी द्वंद के प्रबंधन के दिशा-निर्देश संलग्न प्रेषित है। दिशा-निर्देशों में आपके विभाग की भी भागीदारी निहित है। कृपया संबंधितों को दिशा-निर्देशों के पालन हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध है।

संलग्नःदिशा-निर्देश

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
11/01
(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

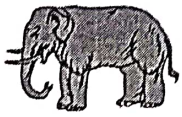

मानव–हाथी द्वंद के प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश

(मानव–हाथी द्वंद की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अनुशंसित संचालन प्रक्रिया)

प्रस्तावना

विगत कुछ वर्षों से मध्यप्रदेश के पूर्वी जिलों–रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिण्डौरी, मण्डला आदि में छत्तीसगढ़ राज्य से हाथी प्रवेश करते रहे हैं। हाथियों के इन क्षेत्रों में आने से मानव–हाथी द्वंद की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही है फलस्वरूप जंगली हाथियों व मानव दोनों को ही जान और माल का खतरा बना रहता है। मानव–हाथी द्वंद [(Human Elephant Conflict (HEC)] के परिणामस्वरूप मानव क्षति के साथ–साथ हाथी इलेक्ट्रोक्युशन, जहर देने, ट्रेन दुर्घटना आदि कारणों से मारे जाते हैं।

जनहानि के अतिरिक्त हाथियों द्वारा फसलों व सम्पत्ति की क्षति भी की जाती है। ग्रामों के आसपास के वनक्षेत्रों में हाथियों के निरंतर भ्रमण से मानव–हाथी द्वंद एवं ग्रामीणों में भय की स्थिति बनी रहती है। परिस्थितियां और भी जटिल हो जाती है जब स्थानीय समुदाय और विभागीय अमले को जंगली हाथियों के प्रबंधन का कोई पूर्व अनुभव न हो। अतः हाथियों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु मानव–हाथी द्वंद कम करने के उद्देश्य से एवं मानव हितों की रक्षा करने तथा जंगली हाथियों के बेहतर प्रबंधन में वन विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के लिये यह मार्गदर्शिका उपयोगी होगी।

यह अनुशंसित संचालन प्रक्रिया (R.O.P.) मानव एवं हाथियों के संघर्ष को कम करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक बुनियादी कदम उठाये जाने हेतु जानकारी प्रदान करती है। यह प्रक्रिया संरक्षित क्षेत्रों सहित सभी वन क्षेत्रों के लिये उपयोगी है।

मानव–हाथी द्वंद के प्रबंधन में शासन के प्रमुख विभाग, गैर शासकीय संस्थाएं एवं स्थानीय रहवासी आदि का समन्वय एवं सहयोग आवश्यक है।

अनुशंसित संचालन प्रक्रिया (Recommended Operating Procedure) भाग–1

1. कृषि क्षेत्रों, मानव रहवास एवं कस्बों से हाथियों को दूर करना

मुख्य उद्देश्य

(क) हाथियों, ग्रामीणों एवं उनकी संपत्ति को बिना क्षति अथवा न्यूनतम क्षति पहुंचाये, हाथियों को उनके वास स्थल में वापस पहुंचाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना।

(ख) द्वंद की स्थिति में घटना में शामिल हाथियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना तथा वन अधिकारियों तक पहुंचाना।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

1.1 प्रदेश में जंगली हाथियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं के निदान के लिए प्रत्येक प्रभावित ग्राम में **हाथी मित्र दल (अनुभाग–5)** बनायेंगे। हाथी मित्र दल को आवश्यक साजो–सामान तथा प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। हाथी मित्र दल में गांव के पढ़े लिखे सक्रिय युवा को शामिल किया जावेगा।

1.2 हाथियों के आने की सूचना प्राप्त होते ही हाथी मित्र दल के सदस्य तत्काल वन विभाग को सूचित करेंगे। हाथी/हाथियों के झुण्ड की सुरक्षित दूरी से निगरानी करेंगे एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आने तक ग्रामवासियों को हाथियों से दूर रहने हेतु समझाइश देंगे।

1.3 सूचना मिलने पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी/उप वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सभी संबंधित अधिकारियों एवं जिले के **द्रुत कार्यवाही दल** [Rapid Response Team (R.R.T.)] **(अनुभाग–6)** तथा सरपंच व ग्रामवासियों को सूचना प्रदाय कर परिक्षेत्र के कर्मचारियों को घटना स्थल पर तैनात करेंगे।

घटना की सूचना का सम्प्रेषण

1.4 द्रुत कार्यवाही दल (R.R.T.) हाथी आगमन की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल घटना स्थल का विवरण, हाथियों के द्वारा कारित क्षति, हाथियों की अनुमानित संख्या एवं अपनी आगामी योजना से वनपाल/उप वन परिक्षेत्राधिकारी तथा वन परिक्षेत्राधिकारी को अवगत करायेंगे।

1.5 परिक्षेत्र अधिकारी, घटना बाबत् अपने वरिष्ठ अधिकारियों–वनमंडल अधिकारी एवं उप वनमंडल अधिकारी को तथा समस्त अग्रिम पंक्ति के अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शीघ्रातिशीघ्र घटना स्थल पर पहुंचेंगे।

घटना स्थल की स्थिति का आंकलन

1.6 द्रुत कार्यवाही दल (Rapid Response Team-R.R.T.) एवं प्रभारी वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आंकलन करेंगे। आसपास कितने हाथी मौजूद हैं, उनमें से यदि संभव हो तो समस्यामूलक हाथी को चिन्हित करेंगे एवं यह जानकारी एकत्रित करेंगे कि हाथी किस दिशा से आये हैं एवं किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

1.7 संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी संपूर्ण घटना एवं हाथियों की सतत् निगरानी रखते हुए अपनी कार्यवाही एवं निर्णयों से आम जनता को, ग्राम सरपंच को एवं उच्च वन अधिकारियों को निरंतर अवगत कराते रहेंगे।

हाथियों को मानव बसाहट से बाहर खदेड़ना

1.8 वन विभाग के अधिकारी द्वारा निम्नानुसार तीन अलग–अलग दल बनाये जाएंगे–

(अनुराग कुमार)
पोल उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

(1) हाथियों की निगरानी हेतु दल (यथा संभव वनपरिक्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत),

(2) जनसामान्य से सम्पर्क करने एवं उन्हें अद्यतन स्थिति बाबत अवगत कराने हेतु दल (यथासंभव स्थानीय लोगों का–हाथी मित्र दल),

(3) मीडिया से सम्पर्क रखने हेतु उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक/अन्य वरिष्ठ अधिकारी होंगे।

1.9 द्रुत कार्यवाही दल (R.R.T.) एवं हाथी मित्र दलों के सहयोग से हाथियों को ग्रामीण क्षेत्र से बाहर निकालने की कार्यवाही की जावेगी।

1.10 प्रभारी वन अधिकारी, Rapid Response Team एवं हाथी मित्र दल/दलों की मदद से ग्रामवासियों को हाथियों से सुरक्षित दूरी **(कम से कम 250 मीटर)** पर रखना सुनिश्चित करेंगे। ग्राम पंचायत/सरपंच को द्वंद प्रबंधन कार्य में सम्मिलित करेंगे एवं ग्रामीणों को शान्ति बनाये रखने की अपील करेंगे। अगर हाथी घरों में रखे खाद्यान्न/महुआ आदि की तरफ आते हैं तो ग्रामीणों को उन स्थानों से दूर ले जाएंगे।

1.11 जन समूह के अधिक होने एवं अशांत होने की स्थिति में जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस की मदद ली जावे। वनमंडलाधिकारी समय पर इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को देंगे।

1.12 आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकता की स्थिति में प्रभारी वन अधिकारी एंबुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

1.13 आर.आर.टी. यथासंभव जंगली हाथियों को सुरक्षित रास्ता देने का प्रयास करेगी। हाथियों के दल को किसी भी तरह अनावश्यक उत्तेजित नहीं किया जायेगा।

1.14 यदि हाथी दल ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में नियमित तौर पर चरने आते हैं तो उनको पटाखों अथवा सुरक्षित दूरी से हाँका द्वारा भगाया जावेगा।

1.15 आर.आर.टी. हाथियों को खदेड़ने की कार्यवाही करने के पूर्व, जनसमुदाय एवं भीड़ को आगाह करने की दृष्टि से सायरन अथवा लाउड स्पीकर के माध्यम से चेतावनी जारी करेगी, ताकि कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के टकराव को टाला जा सके।

1.16 प्रभारी वन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि चेतावनी देने के उपरांत जन समुदाय वास्तव में 250 मीटर दूर हटा गया है अथवा नहीं। यथासंभव ग्रामीणों को निकटस्थ पक्के भवन में पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

1.17 हाथियों को खदेड़ने की कार्यवाही चमकदार प्रकाश से, पटाखों से, सायरन की आवाज से एवं अन्य माध्यमों से शोर करके एक सुरक्षित दूरी बनाये रखकर की जानी चाहिये। यदि हाथियों का झुण्ड इस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर वापस हमला करता है तो मिर्च पाउडर छिड़काव, मिर्च पाउडर से बने कण्डों को जलाने एवं रबर बुलेट का उपयोग किया जा सकता है। रबर बुलेट का उपयोग, आंखों एवं मस्तक पर न किया जावे।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

यदि हाथी उग्र होते हैं तो हाथी मित्र दल तथा इस कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा हेतु सुरक्षित स्थलों पर रहना चाहिये।

1.18 यह सम्भावना है कि हाथी झुण्ड को आर.आर.टी. द्वारा जंगल में खदेड़े जाने के बाद एवं आर.आर.टी. के प्रस्थान उपरांत हाथी झुण्ड फिर से खेतों में आ सकता है एवं जंगल के किनारे मौजूद रहने की उनकी आदत बन जाती है ऐसी स्थिति में आर.आर.टी. को कुछ दिनों तक लगातार उस क्षेत्र में उपस्थित रहकर चौकस रहना होगा एवं हाथियों की सतत् निगरानी किया जाना आवश्यक होगा।

1.19 हाथियों द्वारा भवनों को क्षति पहुंचाने की स्थिति में आर.आर.टी. का प्राथमिक दायित्व होगा कि वे इन भवनों के ग्रामीणों को सुरक्षित करें, यदि आवश्यक हो तो ग्रामीणों से उन भवनों को खाली करावें।

1.20 हाथियों को वापस खदेड़ते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके वापसी के रास्तों में इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा तो नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय विभाग से उस क्षेत्र में विद्युत प्रवाह बंद कराना होगा।

1.21 हाथियों की मौजूदगी स्थल से 250 मीटर अथवा उनके द्वारा उपयोग किये जाने वाले संभावित रास्तों से जन समुदाय की भीड़ को हटाये जाने का कार्य स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग से कराना होगा।

1.22 यदि जन समुदाय उग्र हो रहा हो तो जिला प्रशासन को धारा 144 लागू किये जाने का अनुरोध किया जाना चाहिये।

1.23 यदि हाथी अनाज, नमक या अन्य खाद्य पदार्थ की तलाश में हों तो उनके भण्डारण स्थल से कोई अप्रिय घटना घटित होने के पूर्व ग्रामीणों को वहां से हटा दें।

1.24 हाथी–मानव द्वंद घटना के समय अत्याधिक क्षतिकारक हाथी अथवा हाथियों को चिन्हित करना आवश्यक होगा, इसके लिये उनके फोटोग्राफ लेकर पहचान की जा सकती है।

1.25 द्रुत कार्यवाही दल उपयुक्त वाहन की मदद से हाथियों को ग्रामीणों के रहवास क्षेत्रों से दूर रखना सुनिश्चित करें। वाहन में जरूरी सुविधाएं जैसे High-mast light, Siren, ध्वनि विस्तारक यंत्र, तेज प्रकाश वाली टार्च आदि उपलब्ध हों। Rapid Response Team एवं वन विभाग के अधिकारी, हाथियों की संख्या एवं दिशा जहां से हाथियों ने प्रवेश किया हो, की जानकारी एकत्रित करें।

1.26 Rapid Response Team एवं स्थल पर मौजूद वन विभाग के अधिकारी निम्न जानकारी प्राप्त करेंगेः– 1. हाथियों की अनुमानित संख्या 2. झुंड में समस्यामूलक हाथियों की संख्या तथा उन्हें चिन्हित करना 3. हाथियों के आने की दिशा एवं जाने की संभावित दिशा एवं मार्ग।

1.27 कई स्थानों पर हाथियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश प्रतिबंधित करने हेतु फेंसिंग, विद्युत फेंसिंग एवं खन्ती आदि तैयार की जाती है। यदि ये पहले से बनायी गयी है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका रख–रखाव

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

नियमित रूप से हो रहा है अथवा नहीं। हाथी मित्र दल को यदि यह लगता है कि उक्त के रख–रखाव की आवश्यकता है तो स्थानीय वन अमले के ध्यान में लाया जावेगा तथा वन अमला रख–रखाव का कार्य शीघ्रता से करेगा।

1.28 हाथियों को हांका लगाकर खदेड़ने की कार्यवाही **(वन परिक्षेत्राधिकारी से अनिम्न अधिकारी न करें)** तथा केवल ऐसे स्थलों पर ही की जावे जहां पर टीम तथा ग्रामवासियों को हाथियों के आने की दिशा एवं आसपास की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो।

1.29 हाथियों को ग्रामीणों के रहवास क्षेत्र से दूर भगाने की प्रक्रिया में हॉर्न एवं सायरन का उपयोग कभी–कभी खतरनाक होता है। हॉर्न एवं सायरन के प्रयोग से हाथी आक्रामक व्यवहार भी अपना सकते हैं। ऐसी स्थिति में हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाये रखना आवश्यक होता है।

1.30 दल प्रभारी हांका दल की सहायता से हाथियों को जंगल में उनके वास स्थल पर खदेड़े। हाथियों को किसी भी स्थिति में खदेड़कर नई जगह पर न भेजें।

1.31 हाथियों को सफलतापूर्वक ग्राम के रहवास क्षेत्र से दूर भगाए जाने के बाद वन विभाग के कर्मचारी हाथियों की जंगल में वर्तमान स्थिति, गतिविधि, दिशा आदि के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करें। जिस दिशा में हाथी बढ़ रहे हों उस ओर के सभी गांवों को हाथियों की उपस्थिति से पूर्व सूचित कर दिया जाये तथा अन्य उपयुक्त कदम उठायें।

1.32 हाथियों द्वारा फसल हानि एवं सम्पत्ति क्षति का अनुमान शासन निर्देशों के अनुसार लगाकर ग्रामवासियों को राहत राशि निर्धारित समय–सीमा 30 दिन के अन्दर राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे।

1.33 संबंधित वनमंडलाधिकारी/उप संचालक द्वारा मानव–हाथी द्वंद प्रबंधन कार्य के परिपेक्ष्य में एक दिवस के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, भोपाल को भेजी जावे तथा उत्तरोत्तर दिवसों में द्वंद की अद्यतन स्थिति से प्रतिदिन अवगत करायेंगे।

1.34 हाई–प्रोफाइल मानव–हाथी द्वंद के मामलों में वन वृत्त प्रभारी/क्षेत्र संचालक के द्वारा एक अधिकृत प्रवक्ता नियुक्त किया जाए जो कि समय–समय पर मीडिया से सम्पर्क कर द्वंद प्रबंधन की जानकारी साझा करें।

अनुशंसित संचालन प्रक्रिया (Recommended Operating Procedure) भाग–2

2. वनक्षेत्र के बाहर हाथी द्वारा जन घायल एवं जन हानि होने पर

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

2.1 हाथियों द्वारा जन घायल की स्थिति में हाथी मित्र दल द्वारा दूरभाष नम्बर 108 से एम्बुलेंस बुलाकर चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करायें एवं तत्काल वन विभाग एवं पुलिस को सूचना दें।

2.2 संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए अधीनस्थ को घटना स्थल पर पहुंचने हेतु निर्देशित कर स्वयं अविलम्ब स्थल पर पहुंचकर आवश्यक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायें।

2.3 जन हानि की सूचना अविलंब मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक को दी जायेगी तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी सभी वैधानिक औपचारिकतायें पूर्ण कर मृत देह पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। वन विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर नियमानुसार मुआवजा भुगतान करेंगे।

2.4 हाथियों के उसी क्षेत्र में मौजूद रहने की स्थिति में अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अब और कोई खतरा न हो। प्रदेश में खतरनाक एवं जनहानि के लिये जिम्मेदार हाथी को भी चिन्हित करेंगे।

2.5 मानव जीवन पर खतरा होने की स्थिति में यदि खतरनाक हाथी को पकड़ना आवश्यक है तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक की अनुमति से क्षेत्र की घेराबंदी कर नियमानुसार पकड़ने की कार्यवाही की जावे।

2.6 हाथी को पकड़ने हेतु निकटस्थ टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम भेजने हेतु संबंधित क्षेत्र संचालक को सूचित किया जाये। सम्पूर्ण कैप्चर ऑपरेशन संबंधित मुख्य वन संरक्षक की देख–रेख में सम्पन्न किया जाये।

2.7 परिक्षेत्र अधिकारी स्तर के अधिकारी, जनहानि की स्थिति में मृत देह के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र करेंगे एवं यह ज्ञात करेंगे की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। इस हेतु प्रारूप (प्रपत्र–1) में जानकारी संधारित करें।

2.8 सभी संबंधित अधिकारियों की आपातकालीन बैठक आहुत कर समस्या के समाधान हेतु स्थल की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यक निर्णय लें।

2.9 वन विभाग, जन घायल एवं जनहानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रचलित निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समय के अन्दर सुनिश्चित करेगा।

2.10 हाथी की मृत्यु/घायल होने की स्थिति में प्रपत्र–2 में जानकारी भरना सुनिश्चित करें।

3. अन्य विभागों/अधिकारियों की भूमिका

मानव–हाथी द्वंद से निपटने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के साथ–साथ सामुदायिक संस्थान, अशासकीय संगठन एवं कुछ निजी व्यक्तियों के प्रयास एवं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

3.1 वन विभाग की भूमिका

3.1.1 मुख्य वन संरक्षकः–

3.1.1.1 वृत्त में जंगली हाथियों की उपस्थिति एवं उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था से मुख्यालय एवं संभाग स्तरीय अधिकारियों को अवगत करायेंगे तथा उनसे अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित करायेंगे।

3.1.1.2 अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।

3.1.1.3 अंतर्वनमंडल समन्वय तथा जंगली हाथी को पकड़ने की स्थिति में संबंधित निकटस्थ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक से समन्वय कर अपने मार्गदर्शन में हाथी कैप्चर ऑपरेशन को अंजाम देंगे।

3.1.1.4 क्षतिपूर्ति भुगतान, जंगली हाथियों से निपटने हेतु यदि तात्कालिक बजट की आवश्यकता से मुख्यालय को अवगत करायेंगे।

3.1.1.5 आसपास के वन वृत्तों, वनमंडलों एवं सीमावर्ती राज्य से समन्वय स्थापित करना।

3.1.2 वनमंडलाधिकारी/उप संचालकः–

3.1.2.1 वनमंडल एवं टाइगर रिजर्व स्तर पर मानव–हाथी द्वंद प्रबंधन हेतु रोस्टर पद्धति पर, शारीरिक रूप से सक्षम एवं समर्पित स्टाफ को चिन्हित कर नियुक्त करना।

3.1.2.2 सभी आवश्यक सामग्री जैसे सुरक्षा उपकरण, फ्लैश लाइट, पटाखे, सीटियाँ, जी.पी.एस., दूरबीन, कैमरा, आवश्यक आकस्मिक चिकित्सकीय उपकरण एवं दवाएं आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.1.2.3 आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करना।

3.1.2.4 अन्य विभागों एवं जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना।

3.1.2.5 आकस्मिक स्थिति में तत्समय क्षतिपूर्ति भुगतान की व्यवस्था करना।

3.1.2.6 अधीनस्थों के समस्त कर्त्तव्यों का पर्यवेक्षण।

3.1.3 उप वनमण्डलाधिकारी/सहायक वन संरक्षकः–

3.1.3.1 द्वंद का दैनिक आंकलन, विभिन्न परिक्षेत्रों के मध्य समन्वय, हाथियों के पथ की मैपिंग एवं समस्यामूलक स्थलों का चिन्हांकन।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

3.1.3.2 वनमंडल स्तरीय द्वंद प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करना।

3.1.3.3 अधीनस्थों के समस्त कर्त्तव्यों का पर्यवेक्षण।

3.1.4 वन परिक्षेत्राधिकारी/उप वन परिक्षेत्राधिकारीः–

3.1.4.1 द्वंद आंकलन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम स्टाफ को रोटेशन के आधार पर द्वंद प्रबंधन हेतु लगायें।

3.1.4.2 उपयोग में आने वाली सामग्री की परिक्षेत्र स्तर पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.1.4.3 कार्य स्थल पर पदस्थ स्टाफ का मनोबल बढ़ाये रखना, अधीनस्थ अमले को तथा स्थानीय जनता को सुरक्षित दूरी पर रखना।

3.1.4.4 परिक्षेत्र के अंदर एवं बाहर द्वंद प्रबंधन हेतु समन्वय बनाये रखना।

3.1.4.5 पुलिस, राजस्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं ग्राम प्रमुख से नजदीकी समन्वय रखना।

3.1.4.6 जनहानि/पशुहानि के प्रकरणों में समय–सीमा में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

3.1.5 बीटगार्डः–

3.1.5.1 द्वंद की स्थिति में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु रैपिड रिस्पांस टीम, हाथी मित्र दलों, ग्रामीणों, स्थानीय पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों से तालमेल कायम रखना।

3.1.5.2 हाथियों के आवागमन की सूचनायें एकत्रित कर वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करना।

3.1.5.3 फसल हानि एवं संपत्ति नुकसान का स्थल निरीक्षण कर ग्रामीणों के आवेदनों में सहायता करना तथा पटवारी से हानि का आंकलन कराना।

3.1.5.4 बीट के अंदर हाथियों के रहवास अथवा पानी पीने के स्थलों को चिन्हित करना।

3.2 द्वंद प्रबंधन में मदद के अन्य हितधारक (Stakeholders)

3.2.1 जिला कलेक्टर एवं उनके मातहत अधिकारी/कर्मचारी–

3.2.1.1 जन समुदाय की भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक होने पर धारा 144 की अधिसूचना जारी करना।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

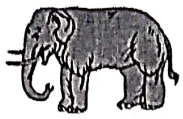

3.2.1.2 प्रभावित ग्रामवासियों हेतु वैकल्पिक अस्थाई रहवास में मदद करना एवं उनके लिए भोजन, पानी एवं अन्य संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.2.1.3 प्रभावितों को चिकित्सकीय सुविधा आदि उपलब्ध कराना।

3.2.1.4 वन विभाग के समन्वय से प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य प्रारंभ कराना।

3.2.1.5 हाथियों द्वारा नष्ट की गई फसलों, मकानों की मरम्मत/मुआवज़ा की व्यवस्था करना।

3.2.1.6 हाथियों के द्वारा की जाने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति का भुगतान एवं अन्य आकस्मिक परिस्थिति में सशक्त भूमिका निभाना।

3.2.2 जिला पुलिस प्रशासन –

3.2.2.1 द्वंद की स्थिति में भीड़ नियंत्रण करना, धारा 144 का क्रियान्वयन।

3.2.2.2 जन घायल की स्थिति में प्रभावितों को चिकित्सालय भेजना, जनहानि में पोस्टमार्टम हेतु भेजना।

3.2.2.3 विकट द्वंद की स्थिति में क्षेत्र को खाली कराना।

3.2.2.4 द्वंद प्रबंधन के कार्य में बाधक ग्रामीणों/अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करना।

3.2.3 स्वास्थ्य विभागः–

3.2.3.1 जनहानि की स्थिति में यथा समय पोस्टमार्टम करना।

3.2.3.2 ग्रामीण क्षेत्र जहां जन सामान्य की मुख्य चिकित्सालय तक पहुंच संभव नहीं है वहां पर हाथियों द्वारा जन घायल की स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टाफ द्वारा स्थल पर ही प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करना।

3.2.4 फील्ड बायोलॉजिस्टः–

3.2.4.1 हाथियों की पहचान सुनिश्चित करना।

3.2.4.1 यथा संभव रक्त एवं गोबर के नमूने एकत्रित कर सुरक्षित करना।

3.2.5 ग्राम पंचायतः–

3.2.5.1 ग्रामीणों में हाथी–मानव द्वंद के प्रति जागरूकता फैलाना।

3.2.5.2 मानव–हाथी द्वंद को कम करने हेतु किये जा रहे विभिन्न उपायों की जानकारी ग्रामीणों को देना, सामूहिक प्रयासों हेतु ग्रामीणों को सहमत करना तथा द्वंद की स्थिति में शांति बनाये रखना।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

3.2.5.3 हाथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं वन विभाग से समन्वय स्थापित करना।

3.2.6 पशु चिकित्सा विभागः–

3.2.6.1 प्रभावित हाथियों की स्वास्थ्य की स्थिति का आंकलन करना।

3.2.6.2 हाथियों के पकड़ने की स्थिति में विभिन्न प्रकार की दवाओं/इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.2.6.3 केप्चर टीम का गठन कर प्रभावी नियंत्रण करना।

3.2.6.4 किसी भी उद्देश्य से केप्चर किये जा रहे हाथियों का कल्याण सुनिश्चित करना।

3.2.6.5 हाथियों को बंधक बनाने, परिवहन करने एवं बंधक रहने की स्थिति में उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखना।

3.2.7 मध्य प्रदेश विद्युत मण्डलः–

3.2.7.1 हाथी समस्या ग्रसित क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का प्रभावी अनुश्रवण कर सुनिश्चित करना कि न तो हाथी और न ही ग्रामीणों को इससे कोई क्षति हो। विद्युत प्रदाय खम्बों की मजबूती का आंकलन करना ताकि हाथियों के रगड़ने/धक्का देने से उनके टूटने की संभावना न हो।

3.2.7.2 यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित क्षेत्र में विद्युत लाइनों में सैगिंग अथवा अन्य किसी कारण से तारों की ऊंचाई कम न हो जिससे हाथियों के साथ दुर्घटना की संभावना न रहे।

3.2.7.3 प्रभावित ग्रामीणों में रात्रि के समय प्रकाश व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखना।

3.2.8 ग्रामीण समुदाय, जनप्रतिनिधि, अशासकीय संगठन

उपरोक्त सभी संस्थाओं का मुख्य दायित्व ग्रामीणों में हाथियों एवं मानव द्वंद के प्रति जन जागृति फैलाना एवं ग्रामीणों के मध्य उठने वाले असंतोष को शान्त रखना, प्रबंधन के कार्यो में सहमति एवं सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु प्रेरित करना है।

4. मानव–हाथी द्वंद प्रबंधन

क्या करें	क्या न करें
1. याद रखें कि जंगली हाथी समझदार एक्टिव एवं शक्तिशाली होते है, वे खतरनाक भी हो सकते हैं।	1. जंगली हाथियों के नजदीक जाने का प्रयास न करें।
2. हाथियों की उपस्थिति ज्ञात होते ही सावधान रहते हुए सुरक्षित दूरी बनाकर	2. बिना रेपिड रिस्पॉन्स टीम अथवा अनुभवी व्यक्तियों के हाथियों को

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्या करें	क्या न करें
रखें।	भगाने का प्रयास न करें।
3. ग्राम के नजदीक हाथियों की उपस्थिति ज्ञात होते ही उनकी स्थिति, संख्या, विशेषकर नर हाथी एवं मस्त हाथी की सूचना एकत्र करने का प्रयास करें।	3. अपना एवं जंगली हाथियों का जीवन खतरे में न डाले।
4. हाथियों की उपस्थिति एवं स्थान की सूचना सभी संबंधितों, रेपिड रिस्पॉन्स टीम एवं वन विभाग को यथा संभव भेजें।	4. द्वंद प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र में विचरण न करें।
5. प्रबंधन से सम्बद्ध प्राधिकृतों के आने तक किसी ऊंचे स्थान अथवा वॉच टॉवर से हाथियों की स्थिति पर नजर रखी जाये।	5. हाथियों के आवागमन की राह में कोई बैरियर आदि निर्मित न करें।
6. रात्रि के समय ग्रामों में सतत रोशनी का प्रबंध करें।	6. ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे कि हाथी उत्तेजित अथवा जख्मी हो।
7. खुले में ग्रामीणों द्वारा शौच क्रिया पर विराम लगाकर उनके आवास के नजदीक ही टॉयलेट का प्रबंध करें।	7. हाथियों के रहवास एवं उनके आवागमन मार्ग के मध्य में न आयें क्योंकि उनके वापसी होने की संभावना रहती है। साथ ही उनकी घेराबंदी का भी प्रयास न करें।
8. हाथियों को खदेड़ना प्रारंभ करने के पूर्व समस्त हाथियों की संख्या एवं उनकी स्थिति को भलीभाँति समझ लें। हाथियों के झुण्ड में मस्त एवं बछड़ों की उपस्थिति से अवगत हो लें।	8. हाथियों के खदेड़ने वाले मार्ग को किसी प्रकार से अवरूद्ध न होने दें।
9. यह सुनिश्चित कर लें कि हाथियों के भगाने वाले रास्ते में कोई ग्रामीण अथवा किसी ग्रामीण की घरेलू सामग्री तो मौजूद नहीं है।	9. हाथी खदेड़ने में तीखे, नुकीले ऐसे औजारों का उपयोग न करें जिससे हाथी घायल हों। खदेड़ने की प्रक्रिया अंतर्गत हाथियों के अधिक नजदीक जाने का प्रयास न करें।
10. हाथियों को भगाने वाले दल में कोई मदिरा का सेवन तो नहीं किया है।	10. हाथियों को बिना आवश्यक उपकरणों के अकेले खदेड़ने का प्रयास न करें इससे संपत्ति अथवा जनहानि हो सकती है।
11. हाथियों को सही दिशा में खदेड़ने के पूर्व रेपिड रिस्पॉस टीम वन विभाग एवं पुलिस आदि की प्रतीक्षा करें।	11. नये अप्रशिक्षित सदस्यों को हाथी ड्राइव की अग्रिम पंक्ति में न आने दें। उन्हें दल में पीछे रखकर उनसे सहयोग प्राप्त करें।

(अनुराग कुमार)
[illegible] उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

5. हाथी मित्र दल

स्थानीय क्षेत्रीय समुदाय में से 10–20 स्वैच्छिक रूप से कार्य करने वाले ग्रामीणों का समूह है। हाथी मित्र दल गठन एवं कार्य प्रणाली की प्रक्रिया निम्नानुसार है–

5.1 हाथी मित्र दल के गठन से ग्रामीणों की सहमति होने की स्थिति में सरपंच एवं रहवासी इसमें रूचि रखने वाले एवं स्वेच्छा से कार्य करने वाले 10–20 ग्रामीणों का चयन करेंगे।

5.2 हाथी द्वंद प्रबंधन में सहयोग एवं समन्वय हेतु हाथी मित्र दल एवं उनके लीडर सभी के नामों की सूची एवं फोन नंबर संबंधित वन परिक्षेत्राधिकारी को उपलब्ध कराई जावेगी।

5.3 हाथी मित्र दल को हाथियों के मनोविज्ञान एवं व्यवहार संबंधी समझ विकसित करने के उद्देश्य से आधारभूत प्रशिक्षण वन विभाग एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जावेगा।

5.4 हाथी मित्र दल का दायित्व सुरक्षा हेतु स्थापित किये गये अवरोध (Barrier) की सतत् निगरानी करना, उनकी क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित वनाधिकारियों को सूचित करना तथा यथासंभव मरम्मत करना है।

5.5 हाथी मित्र दल स्थानीय समुदाय, रेपिड रिस्पॉंस टीम एवं वन विभाग के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा तथा हाथियों द्वारा धावा बोलते समय हाथियों द्वारा की जा रही क्षति को न्यूनतम करना तथा हाथियों को ग्राम की सीमा से उनके रहवास क्षेत्र में हांकने के कार्य में मदद करना है।

5.6 हाथी मित्र दल की सेवाएं पूर्णतः स्वैच्छिक होगी।

6. द्रुत कार्यवाही दल (Rapid Response Team)

आवश्यक संसाधनों, उपकरणों से सुसज्जित एवं प्रशिक्षित 10–20 पेशेवर व्यक्तियों का समूह जिसका प्राथमिक उद्देश्य मानव हाथी द्वंद की स्थिति में तत्परता से आवश्यक कार्यवाही करना है।

6.1 आर.आर.टी. का गठन

- हाथी प्रभावित परिक्षेत्रों में न्यूनतम एक दल का गठन।
- प्रभारी अधिकारी वन विभाग के वनपाल या उच्च स्तर का अधिकारी।
- दल के सदस्यों में जीव विज्ञानी, समाज विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पशु चिकित्सक को यथा संभव रखा जावेगा।

6.2 अन्य सदस्यों में वन विभाग के अग्रिम पंक्ति के सदस्यों को शामिल किया जाना अनिवार्य है।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

6.3 दल के सभी सदस्यों को द्वंद प्रबंधन के तरीकों, हाथियों के पहचान चिन्ह एवं व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।

6.4 दल का फोन नंबर स्थाई होने के साथ–साथ आम जन को भी विदित होना चाहिये।

6.5 हाथी द्वंद घटनाओं की समय से सूचना प्राप्त करने हेतु दल को क्षेत्र के सभी ग्रामों में संपर्क सूत्र विकसित करना आवश्यक है।

6.6 संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी का दायित्व होगा कि वे दल को आवश्यक उपकरणों, जैसे हाई इन्टेंसिटी लाईट, सायरन, ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loud Speakers) आदि से सुसज्जित अच्छी हालत का वाहन नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

6.7 प्रभावित सभी ग्रामवासियों को यह सूचना होनी चाहिये कि वे हाथी की उपस्थिति की सूचना दल के सदस्यों को अविलंब देंगे।

6.8 दल को किसी भी घटना से निपटने हेतु हर क्षण 24X7 तत्पर रहना होगा।

7. हाथियों का मनोविज्ञान एवं व्यवहार

7.1 नर हाथी मस्त के समय एवं मादा हाथी नवजात शिशुओं के साथ होने पर ज्यादा आक्रामक होते हैं।

7.2 नर हाथी से मस्त के समय किसी भी सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं।

7.3 आमतौर पर बुजुर्ग मादा हाथी, दल के मुखिया का दायित्व निभाती हैं।

7.4 कभी–कभी हाथी नकली हमला भी करते हैं जो केवल दिखावा होता है एवं प्रतिस्पर्धी को डराने, धमकाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें हाथी हमला करने के लिये आगे दौड़कर बढ़ता है लेकिन मध्य से ही वापस हो जाता है ताकि ग्रामीण उनसे दूर भाग जावें।

7.5 हाथी लगभग 40 कि.मी. प्रति घंटा की गति से दौड़ सकते हैं और लगभग 1 कि.मी. तक एक साथ दौड़ सकते हैं। अतः इनके अत्यधिक नजदीक जाना खतरनाक हो सकता है।

7.6 हाथी की सूंघने की शक्ति एवं सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, परंतु देखने की शक्ति मनुष्य की तुलना में कम होती है। अतः जैसे ही हाथी को मनुष्य की उपस्थिति का अहसास होता है वह अकस्मात हमला कर देता है। अतः उनके अधिक नजदीक तक जाकर उन्हें आश्चर्य चकित करने का प्रयास न करें।

8. मानव–हाथी द्वंद को कम करने हेतु गैर घातक अवरोधक

8.1 हाथी रोधक खाई

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

सीधी ढलान एवं गहरी खंती को पार करना एवं कूद कर निकलना हाथियों के लिये आसान न होने के कारण हाथी रोधक खाई कुछ क्षेत्रों में हाथियों को दूर रखने का बेहतर विकल्प हो सकता है।

8.1.1 खाई हेतु उपयुक्त स्थल

8.1.1.1 स्थल की मिट्टी अत्यधिक ढीली न हो अन्यथा हाथी अपने पैरों से मिट्टी पाटकर खाई को पूरा पार कर सकते हैं।

8.1.1.2 खाई कम नाले वाले क्षेत्रों में ही उपयोगी होगी।

8.1.2 खाई का निर्माण

8.1.2.1 स्थानीय जागरूक एवं प्रभावित किसानों के प्रतिनिधियों की ऐसे प्रभावित ग्रामों में एक 5 सदस्यीय फेंसिंग रखरखाव समिति गठित की जायेगी जिसमें क्षेत्रीय प्रभार वाला वन रक्षक भी एक सदस्य होगा।

8.1.2.2 फेंसिंग, रख–रखाव समिति, वन विभाग एवं कार्यरत अशासकीय संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जावेगा।

निरीक्षण में यह देखा जायेगा कि ग्रामीण कौन सा क्षेत्र सुरक्षित करना चाहते हैं। ग्रामीण अपने आवागमन हेतु कौन सा रास्ता उपयोग करेंगे एवं हाथी अपने वास स्थल से ग्राम की ओर आने में किस रास्ते का उपयोग करते हैं।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

8.1.2.3 हाथी रोधी खाई (Elephant Proof Trench-EPT) सामान्यतः 2 मीटर गहरी, 3 मीटर ऊपर एवं नीचे चौड़ी होगी, इसकी दीवालें पूर्णरूपेण खड़ी होंगी।

8.1.2.4 खोदी गई मिट्टी, खाई से दूर फेंकी जावेगी अन्यथा हाथी उसका उपयोग कर खाई को पाट देंगे।

8.1.2.5 सुरक्षा की दृष्टि से खाई के दोनों ओर कम से कम 10 फीट दूरी दिखनी चाहिये।

8.1.2.6 ढीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाई बनाना वर्जित रहेगा।

8.1.2.7 ग्रामीणों के रास्ते वाले स्थलों पर खाई के ऊपर लकड़ी रखकर क्रॉसिंग बनायी जा सकती है।

8.1.2.8 जिन स्थानों पर खाई मार्ग को क्रॉस करती हो वहां हाथियों को रोकने हेतु विद्युत फेंसिंग एवं वाहन आवागमन के नियंत्रण हेतु बैरियर स्थापित किया जा सकता है।

8.1.2.9 खाई के मध्य नाला आने पर कंक्रीट के पिलर अथवा पानी निकासी हेतु पाईप का प्रयोग किया जा सकता है।

8.1.3 निगरानी एवं रख–रखाव

8.1.3.1 फेंसिंग रख–रखाव समिति, खाई की नियमित निगरानी एवं रख–रखाव हेतु उत्तरदायी होगी।

8.1.3.2 प्रत्येक वर्षा के उपरांत खाई में भरी हुई मिट्टी को निकालकर उसे प्रभावी बनाये रखने हेतु सफाई आवश्यक होगी।

8.1.3.3 सतत् निरीक्षण किया जाकर हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने वाले स्थलों पर त्वरित मरम्मत करना होगी।

8.1.3.4 कड़ी एवं पथरीली भूमि में खाई पर्याप्त गहराई की न होने के कारण हाथी आवागमन हेतु उन स्थलों का उपयोग करते हैं। अतः इन स्थलों पर पर्याप्त गहरी खाई बनाया जाना होगा।

8.1.3.5 खाई के आसपास एवं अंदर उगी वनस्पतियों, झाड़ियों की नियमित सफाई कराना होगी।

8.1.3.6 रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था वन विभाग के बजट मद से की जावेगी।

8.2 गैर घातक विद्युत फेंसिंग

8.2.1 उद्देश्य

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

सामान्य रूप से फेंसिंग के रूप में खड़ा किया गया कोई भी अवरोध हाथियों के बल के समक्ष टिकना संभव न हो सकने के कारण गैर घातक विद्युत फेंसिंग ही एकमात्र उपाय रह जाता है जो कि मानव बसाहट एवं कृषि भूमि की हाथियों से सुरक्षा कर सके।

8.2.2 अनुशंसित प्रक्रिया

निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाना सुनिश्चित करें –

8.2.2.1 पॉवर फेंसिंग ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाना उचित होगा जहां पर सामुदायिक संस्थाएं इसके रख–रखाव का उत्तरदायित्व वहन करने के लिये तैयार हों। ऐसे स्थानों पर फेंसिंग रख–रखाव समिति का गठन किया जावे। रख–रखाव हेतु धनराशि वन विभाग के संबंधित बजट मद से की जावेगी।

8.2.2.2 प्रस्तावित स्थल पर पॉवर फेंसिंग की डिजाइनिंग हेतु ग्रामीणों के द्वारा बनायी गयी समिति क्षेत्र में सहभागिता कर रहे अशासकीय संगठन एवं वन विभाग द्वारा स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया जाकर ही निर्णय लिया जावेगा। इसमें निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होगा –

8.2.2.3 ग्रामीण फेंसिंग द्वारा कौन सा क्षेत्र सुरक्षित करना चाहते हैं इसका चुनाव भी ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाना होगा।

8.2.2.4 ग्रामीणों द्वारा अपने निस्तार हेतु जिस रास्ते का उपयोग किया जावेगा उसे फेंसिंग द्वारा अवरूद्ध न किया जावे।

8.2.2.5 हाथियों द्वारा सामान्यतः जिन रास्तों का उपयोग किया जा जाता है उसे फेंसिंग द्वारा अवरूद्ध किया जावे।

8.2.2.6 स्थल विशेष हेतु एक सीधी रेखा में लम्बवत् अथवा गोलाकार किस प्रकार की फेंसिंग स्थापित की जा सकती है।

8.2.3 तकनीकी विवरण

पॉवर फेंसिंग स्थापित किये जाने हेतु निम्न प्रकार के उपकरण एवं सामग्रियों की आवश्यकता होगी –

8.2.3.1 विद्युतीय उपकरण

8.2.3.1.1 इनर्जाइजरः प्रत्येक बैटरी हेतु एक पृथक 600–900 वोल्ट की पल्स उत्पन्न करने वाला ए/5 ज्यूल्स का आईएसओ प्रमाणित इनर्जाईजर की आवश्यकता होगी।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

8.2.3.1.2 **बैटरी** : 12 वोल्ट की बैटरी

8.2.3.1.3 **सोलर पैनल** : 15–17 वोल्ट 3–5 एम्पियर

8.2.3.1.4 **चार्ज कन्ट्रोलर** : बैटरी को सुरक्षित रखने हेतु दो चार्ज कंट्रोलर (एक सोलर पैनल एवं बैटरी के मध्य एवं दूसरा बैटरी तथा फेंसिंग के मध्य) स्थापित करना होगा।

8.2.3.1.5 आकाशीय विद्युत से फेंसिंग की सुरक्षा हेतु उपकरण स्थापित किया जाना होगा।

8.2.3.1.7 **अर्थिंग** : फेंसिंग में विद्युत प्रवाह बनाये रखने हेतु जमीन के अंदर प्रभावी अर्थिंग किया जाना आवश्यक होगा।

8.2.3.2 गैर विद्युतीय उपकरण/ सामग्री

8.2.3.2.1 **पोस्टः** लकड़ी, बांस या धातु से बने हुए जिन पर से विद्युत केबल ले जायी जावेगी।

8.2.3.2.2 **तार/केबलः** जंग रोधी, गेल्वेनाईज़्ड स्टील वायर।

8.2.3.2.3 **इन्सुलेटरः** प्रत्येक खंभे से तार गुजारने हेतु डबल ग्रूव एवं कॉर्नर हेतु पृथक इन्सुलेटर की आवश्यकता होगी।

8.3 विद्युत फेंसिंग के प्रकार

निम्न तीन प्रकार की विद्युत फेंसिंग उपयोग में लायी जानी है –

8.3.1 सिंगल स्टेण्ड फेंसिंग

मौके पर मौजूद वनस्पति से ऊँचाई पर सिंगल तार के रूप में स्थापित की जाने वाली फेंसिंग, कम लागत की होती है। इसका रख–रखाव भी आसान होता है। यह फेंसिंग नम एवं गीली मिट्टी वाले क्षेत्र में स्थापित की जाती है।

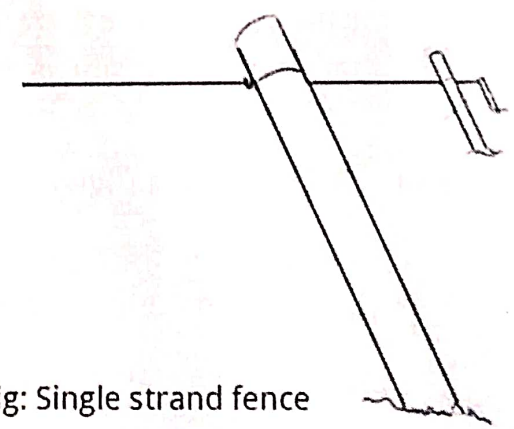

Fig: Single strand fence

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

8.3.2 मल्टी स्ट्रेण्ड फेंसिंग

इसमें दो या दो से अधिक तार की लाइनें विछायी जानी हैं। यह फेंसिंग हाथियों के साथ–साथ अन्य छोटे वन्यप्राणियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें खंभों को अतिरिक्त सपोर्ट दिया जाना होता है।

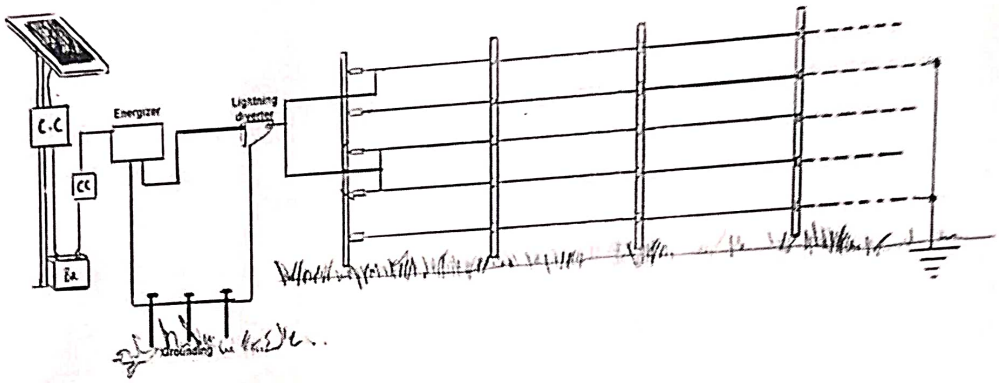

8.3.3 ऊपर से लटकने वाली विद्युत फेंसिंग

यह अधिक उपयोगी फेंसिंग है जिसके हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त किये जाने की संभावना न्यूनतम है।

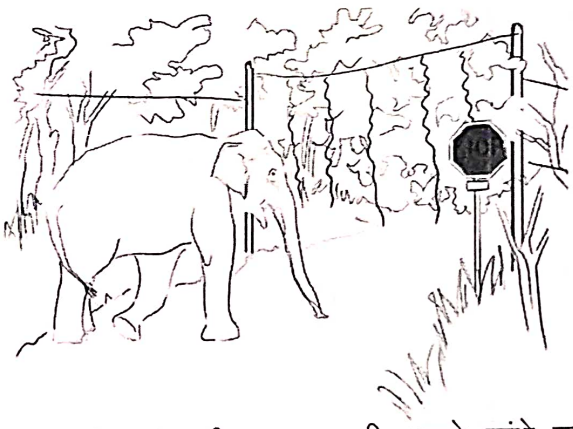

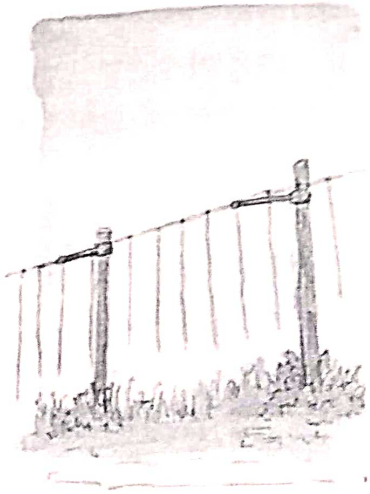

इसमें 20 मी. की दूरी पर 4.2 मी. लम्बे खंभे का उपयोग किये जाते हैं जो कि 60 से.मी. भूमि के अंदर रहते हैं।

8.3.4 निर्मित फेंसिंग का आंकलन, निगरानी एवं रख–रखाव

8.3.4.1 फेंसिंग तैयार होने के उपरांत जिला प्रशासन, वन विभाग, विद्युत विभाग एवं अशासकीय संस्था के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

निरीक्षण कर, वोल्टेज, विद्युत स्रोत, पॉवर सप्लाई एवं विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता को सत्यापित करेंगे।

8.3.4.2 फेंसिंग रख–रखाव समिति, फेंसिंग की निगरानी एवं रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित करेगी।

8.3.4.3 फेंसिंग के नीचे उगी हुई वनस्पतियाँ जो तारों के नजदीक तक पहुंच रही हों, उनकी माह में दो बार सफाई सुनिश्चित की जायेगी।

8.3.4.4 बैटरी का वोल्टेज एवं फेंसिंग के तारों में विभिन्न दूरियों पर वोल्टेज चेक किया जाना होगा।

8.3.4.5 माह में एक बार सोलर पैनल की सफाई करना होगी।

8.3.4.6 विद्युत कनेक्शन की सफाई करना होगी ताकि जंग लगने से बचें।

8.3.4.7 बैटरी की चार्जिंग प्रतिदिन एवं डिसटिल्ड वाटर प्रति 15 दिन में चेक करें।

8.3.4.8 यद्यपि फेंसिंग रख–रखाव का उत्तरदायित्व रख–रखाव समिति का होगा फिर भी वन विभाग की टीम इसकी यथासंभव निगरानी करेगी, साथ ही आर.आर.टी. को फेंसिंग चेक करने के लिये वोल्टमीटर उपलब्ध कराना होगा।

8.4 तकनीकी मापदण्ड

फेंसिंग की लंबाई	बैटरी एम्पियर	सोलर पेनल वाट
0 - 2.5 KM	60	75
3 – 4.0 KM	75	80-100
4 - 5.0 KM	100	120

आम तौर पर यह फेंसिंग 2.5 कि.मी. से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये, आवश्यकता होने पर टुकड़ों में विभक्त कर देना चाहिये।

7.5 फीट लम्बे, बांस, लकड़ी, लोहा अथवा कंक्रीट के खंभे उपयोग में लाये जा सकते हैं जो 5.5 फीट भूमि के ऊपर रहना चाहिये। दो खंभों के मध्य की दूरी 8.0 मीटर से अधिक कदापि न हो। खंभे हाथियों के आने की दिशा की ओर 70^0 तक झुके होना चाहिये।

फेंसिंग हेतु 2.5 एम.एम. का तार उपयोग में लाना चाहिये। कंटीले तार का उपयोग कदापि न करें।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

8.5 प्रभावित क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन

8.5.1 हाथी मधुमक्खियों से डरता है क्योंकि मधुमक्खियां उसकी आंख एवं सूंड में डंक मारती हैं।

8.5.2 मधुमक्खियों की आवाज (Collective Buzzing Sound) हाथियों को परेशान करती हैं।

8.5.3 मधुमक्खियों के बॉक्स हाथियों के रास्ते में रखे जाने से हाथी मानव रहवास क्षेत्रों में जाने से रोकने का कार्य करेंगे।

8.5.4 मधुमक्खी पालन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत शासन का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

8.5.5 मधुमक्खी पालन की योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़कर बनाई जाये, जिसमें हाथी द्वारा शहद बॉक्स को क्षति पहुंचाए जाने पर उसमें प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जाये।

9. कच्चे घरों को पक्के घरों में परिवर्तित कराने की कार्यवाही

9.1 जिला प्रशासन के सहयोग से जंगली हाथियों के कॉरीडोर में आने वाले ग्रामों के निवासियों के कच्चे घरों को पक्के घरों में परिवर्तित कराया जाये।

9.2 इस हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत विशेष परियोजना का लाभ भी कॉरीडोर के निवासियों को उपलब्ध कराया जाये।

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रपत्र–1

जनघायल / जनहानि क्षतिपूर्ति डाटा शीट

क्र.	विवरण	सूचनाएं
1	नाम	
	उम्र	
2	पुरुष / महिला	
3	स्थिति – घायल / मृत	
4	पिता / माता का नाम	
5	पूर्ण पता	
6	नज़दीकी बीट एवं रेंज का नाम	
7	क्षतिपूर्ति हकदार (उत्तराधिकारी)(मृत्यु होने पर)	
	1. नाम	
	2. उम्र / लिंग	
	3. प्रभावित व्यक्ति से रिश्ता	
	4. पूर्ण पता	
8	प्रभावित / हकदार (उत्तराधिकारी) का फोन नंबर	
9	घटना स्थल का विवरण	
	1. अक्षांश (Latitude)	
	2. देशांश (Latitude)	
	3. ग्राम	
	4. बीट	
	5. परिक्षेत्र	
	6. वनमंडल	
	7. खसरा क्रमांक	
	8. पट्टा संख्या	
	9. पटवारी हल्का	
	10. राजस्व निरीक्षक वृत्त	
	11. जिला	
	12. राज्य	
10.	घटना का दिनांक	
11	घटना का समय	
12	घटना कारित करने वाले हाथी का विवरण	
	फोटो, डीएनए रिपोर्ट, डाटाशीट यदि हो तो आईडी क्रमांक	
13	उपचार की स्थिति में चिकित्सालय से प्राप्त अभिलेख संलग्न करें।	
14	उपचार पर किया गया व्यय	
15	मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट	

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्र.	विवरण	सूचनाएं
16	क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु बैंक का विवरण	
	बैंक एवं शाखा का नाम	
	खाताधारक का नाम	
	अकाउंट नंबर	
	आईएफएससी कोड	

स्थान : दिनांक

प्राधिकृत सत्यापनकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. घायल व्यक्ति/मृत्यु की स्थिति में हकदार (उत्तराधिकारी)
2. सरपंच
3. वन विभाग के प्रतिनिधि
4. सामान्य प्रशासन/राजस्व अधिकारी

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

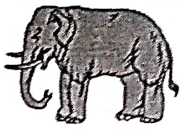

प्रपत्र–2

हाथी की मृत्यु/घायल होने पर डाटा शीट

क्र.	विवरण	सूचनाएं
1	प्रकरण क्रमांक	
2	हाथी की पहचान क्रमांक आईडी	
3	घटना का दिनांक	
4	घटना का समय	
5	स्थल का विवरण	
	1. लेटीट्यूड	
	2. लांगीट्यूड	
	3. ग्राम	
	4. बीट	
	5. वन परिक्षेत्र	
	6. संरक्षित क्षेत्र	
	7. वनमंडल	
	8. जिला	
	9. राज्य	
6	मृत/ घायल	
7	शव पता लगाने वाला	
	1. नाम	
	2. पद/व्यवसाय	
8	प्रभावित हाथी का विवरण	
	1. उम्र	
	2. लिंग	
	3. मादा/मखना/टस्कर	
9	मृत्यु/ घायल का कारण	
	a. प्राकृतिक बीमारी	
	1. आपसी द्वंद	
	2. भूख	
	3. वृद्धावस्था	
	b. दुर्घटना	
	1. वाहन/रेलगाड़ी द्वारा	
	2. नदी/ खंती/ गड्ढा/ कुंआ	
	3. इलेक्ट्रोक्यूशन	
	c. कॉन्फ्लिक्ट/ द्वंद	
	1. अवैध विद्युत तार फेंसिंग से	
	2. जहर देकर	
	3. विस्फोटक से	
	4. जाल/फन्दा	
	5. अन्य कोई द्वंद	

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्र.	विवरण	सूचनाएं
	d. अन्य कारण	
	1. अवैध शिकार	
	2. बन्दूक की गोली	
	3. रेस्क्यू ऑपरेशन में	
	4. अवर्गीकृत / अनिश्चित	
	e. मृत्यु / दुर्घटना पर रिमार्क	
10	**शव के अन्य अंगों की स्थिति**	
	a. दाँत गुमशुदा	
	1. प्राप्त	
	2. प्राकृतिक अनुपस्थित	
	b. अन्य अंग, गुम / प्राप्त	
11	**अभिलेख**	
	b. पशु चिकित्सक दल	
	1. पशु चिकित्सक का नाम	
	2. पद	
	3. फोन नंबर	
	b. पोस्टमार्टम / मेडिकल रिपोर्ट	
	b. फोटोग्राफ	
12	इस प्रकरण के साथ कोई जनहानि या जनघायल का विवरण	
13	अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो।	

हस्ताक्षर

वन परिक्षेत्र अधिकारी

वनमण्डलाधिकारी

(अनुराग कुमार)
पदेन उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग